अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 133(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी,1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 92 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जसालपुर आरोग्य मण्डल, जसालपुर, ताल काडी,जिला मेहसाना,उत्तर गुजरात द्वारा उत्तर गुजरात के जिला मेहसाना, ताल काडी, जसालपुर में पी0 एच0 भगवती सार्वजनिक अस्पताल के अनुरक्षण की स्कीम की परियोजना कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में चौंतीस लाख तेईस हजार रूपए की अनुमानित लागत पर क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 15 मई,1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 406 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए ओर बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 916 (अ0) द्वारा कर निर्धारण 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जसालपुर आरोग्य मण्डल, जसालपुर, ताल काडी,जिला मेहसाना,उत्तर गुजरात द्वारा चलाई जा रही उत्तर गुजरात के जिला मेहसाना, ताल काडी, जसालपुर में पी0 एच0 मगवती सार्वजनिक अस्पताल के अनुरक्षण की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 32/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)